बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2,पटना 800001

पत्रांक– 4082 दिनांक– 21/5/20

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में मुख्य सतर्कता पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति हेतु

विज्ञापन

बिहार राज्य खाद्य एवं आसैनिक आपूर्ति निगम लि0 के प्रशासनिक संरचना के पुर्नगठन के फलस्वरूप मुख्य सतर्कता पदाधिकारी के स्वीकृत एक पद के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग या इस संवर्ग के उपर के कोई पद से सेवा निवृत पदाधिकारी जिनकी सेवा निवृति छः माह से अधिक नहीं हुई हो साथ ही जिन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव हो, ऐसे योग्य, स्वच्छ छवि वाले एवं शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम,अनुभवी पदाधिकारियों से संविदा नियोजन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित अर्हता/शर्ते(जो निगम बेवसाईट पर उपलब्ध है)के अनुसार दिनांक **20.06.2020 के कार्यालय अवधि** तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। उक्त नियोजन के लिए आदर्श रोस्टर के अनुसार रिक्त पद पर एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति की जायेगी तथा उनका कार्यकलाप संतोषजनक पाये जाने पर उनकी संविदा अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।

मुख्य सतर्कता पदाधिकारी(संविदा)– 01पद

1. आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में एवं अनुसूची 1 से संबंधित सभी अभिलेख की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर **दिनांक 20.06.2020 तक** निश्चित रूप से **प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, 'खाद्य भवन' दारोगा राय पथ,आर ब्लॉक,रोड नं.2,पटना 800001** के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अर्हता पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन **रिक्ति एवं आवश्यकता के आलोक में** किया जायेगा।
2. संविदा पर नियोजन की शर्ते,आवेदन प्रपत्र अभ्यर्थियों द्वारा **Website-sfc.bihar.gov.in** तथा किसी भी कार्य दिवस को निगम मुख्यालय(खाद्य भवन)आर0ब्लॉक,रोड नं02,पटना के प्रशासन शाखा में देखा जा सकता है।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

अनु0–आवेदन प्रपत्र, सेवा शर्त एवं अनुसूची–1

20.5.2020

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

संविदा पर नियोजन की अर्हता एवं शर्ते निम्नवत होगी–

1. संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरूद्ध नियमित कर्मी होंगे,यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
2. विज्ञापन की तिथि को आवेदक की सेवा निवृति की अवधि छः माह से अधिक नहीं हुई हो एवं चयन हेतु पदाधिकारी का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा। ऐसी नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65वर्ष की होगी।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. चयन समिति आवश्यकतानुसार कांउसिलिंग/साक्षात्कार के आधार पर अपनी अनुशंसा देगी।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 3815 दिनांक 11.3.16 में निर्धारित मापदंड एवं संलग्न अनुसूची–1में दी गई अंक तालिका के अनुसार नियोजन हेतु प्राथमिकता के लिए अंक निर्धारित किये जायेंगे।
6. उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
7. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश राज्य खाद्य निगम के द्वारा निर्गत किया जायेगा।
8. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।
10. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.7.15 के अनुरूप यथा संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवा निवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि मे से पेंशन की राशि+सेवा निवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा,परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवा निवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
12. उल्लिखित पदों के लिए सेवा निवृत इच्छुक व्यक्ति संलग्न विहित प्रपत्र में अपनी योग्यता,पूर्व धारित पदों का विवरण सहित स्वयं अथवा निबंधित डाक से अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक **प्रबंध निदेशक,बिहार स्टेट फुड एवं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,'खाद्य भवन' दारोगा राय पथ,आर0ब्लॉक रोड नं02, पटना–800001** के पते पर भेजें।
13. आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो।
14. आवेदक शरीरिक रुप से स्वस्थ्य हो।
15. सेवा निवृत इच्छुक कार्मिक अपने आवेदन पत्र के साथ आयु,शैक्षणिक योग्यता,सेवा निवृति से संबंधित कागजातों,पूर्व नियोजक से स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अपराधिक मामला,गबन अनाचार–कदाचार के संबंध में नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के साथ प्रतिवेदन देगें।
16. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल–अचल संपति से की जायेगी।

क्र0	पद	स्वीकृत पद	वेतनमान	पदवार वांछित योग्यता	रिक्ति पद
1	मुख्य सतर्कता पदाधिकारी	01	PB-4+8700 (अपुनरीक्षित)	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग या इस संवर्ग के उपर के कोई पद से सेवा निवृत पदाधिकारी जिनकी सेवा निवृति छः माह से अधिक नहीं हुई हो साथ ही जिन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव हो।	01

आवेदन प्रपत्र

Paste in Photograph

1. आवेदित पद का नाम– **मुख्य सतर्कता पदाधिकारी**
2. आवेदक का नाम–
3. पिता/पति का नाम–
4. अंतिम धारित पद–
5. प्रथम नियुक्ति की तिथि–
6. स्थायी पता–

7. वर्तमान पता–

8. जन्मतिथि(प्रमाण पत्र के साथ)–
9. सेवा निवृति की तिथि–
10. सेवा निवृति का पद एवं विभाग का नाम एवं पता जहाँ से सेवा निवृत हुए है(सेवा निवृति संबंधित/अभिप्रमाणित साक्ष्य संलग्न करें)–

11. शैक्षणिक योग्यता–
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

12. आवेदित पद के अनुरूप योग्यता(प्रमाण पत्र संलग्न)–
13. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानीवाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है अथवा नहीं।

14. आरक्षण कोटि–
(सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्रमाण पत्र संलग्न)
15. सेवा निवृति के अंतिम माह में प्राप्त परिलब्धियाँ–
(LPC /PPO की छाया प्रति संलग्न करें)–
16. दूरभाष/मोबाईल नं0–
17. अनुसूची–1 में अंक निर्धारित करते हुए संलग्न करें।
18. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करें।

तिथि–

स्थान–

हस्ताक्षर

अनुसूची – 1

सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु अंकों का निर्धारण

	विचारण क्षेत्र	अंक	अधिकतम अंक
1	संबंधित विभाग में उसी पद/समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 5 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 3 अंक 3. 10 वर्ष से कम कार्यानुभव – 2 अंक	5 अंक
2.	अन्य विभागों में में उसी पद/समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 3 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 2 अंक 3. 10 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 1 अंक	3 अंक
3.	सेवा निवृत्ति के उपरांत उसी विभाग में उसी पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक कार्यानुभव	1. अधिकतम 2 वर्षों का कार्यानुभव – 2 अंक 2. 1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 1 अंक	2 अंक
4.	संविदा नियोजन के समय उम्र	1. 60 वर्ष – 5 अंक 2. 61 वर्ष – 4 अंक 3. 62 वर्ष – 3 अंक 4. 63 वर्ष – 2 अंक 5. 64 वर्ष – 1 अंक	5 अंक
5.	पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्यमुल्यांकण प्रतिवेदन	1. प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभ्यु0 के लिए – 2 अंक 2. प्रति वर्ष बहुत अच्छा अभ्यु0 के लिए –1.5 अंक 3. प्रति वर्ष अच्छा अभ्यु0 के लिए – 1 अंक	10 अंक
		कुल अंक	25 अंक